

अध्याय - 7 | कंपनी निर्माण

QUIZ
PART-06

1. एक व्यक्ति कंपनी (OPC) की अवधारणा किस अधिनियम के तहत लागू हुई?

- A. कंपनी अधिनियम 1956
- B. कंपनी अधिनियम 2013
- C. कंपनी अधिनियम 2000
- D. कंपनी अधिनियम 1991 (B)

व्याख्या: OPC की व्यवस्था कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल की गई है।

2. OPC का सुझाव किस समिति ने दिया था?

- A. एस. डी. फंडणवीस समिति
- B. जे. जे. ईरानी समिति
- C. चंद्रशेखर समिति
- D. बोस समिति (B)

व्याख्या: OPC का प्रस्ताव जे. जे. ईरानी समिति ने रखा था।

3. OPC का सदस्य कौन हो सकता है?

- A. कोई भी संस्था
- B. अवयस्क
- C. एक प्राकृतिक भारतीय नागरिक
- D. विदेशी नागरिक (C)

व्याख्या: सदस्यता केवल एक प्राकृतिक भारतीय नागरिक को दी जा सकती है जिसने पिछले वर्ष 182 दिन भारत में बिताए हों।

4. OPC का सदस्य या नामांकित कौन नहीं बन सकता?

- A. व्यापारी
- B. अवयस्क
- C. सरकारी कर्मचारी
- D. शिक्षक (B)

व्याख्या: अवयस्क व्यक्ति को सदस्य या नामांकित बनने की अनुमति नहीं होती।

5. कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी OPC में सदस्य/नामांकित हो सकता है?

- A. दो
- B. पाँच
- C. केवल एक
- D. कोई सीमा नहीं (C)

व्याख्या: एक व्यक्ति एक ही OPC में सदस्य या नामांकित के रूप में जुड़ सकता है।

6. यदि कोई व्यक्ति गलती से दो OPC में शामिल हो जाए तो उसे कितने दिनों के भीतर स्थिति सुधारनी होती है?

- A. 90 दिन
- B. 120 दिन
- C. 180 दिन
- D. 365 दिन (C)

व्याख्या: नियमों के अनुसार स्थिति सुधारने के लिए 180 दिनों का समय निर्धारित है।

7. OPC किन गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकती?

- A. व्यापार
- B. उत्पादन
- C. गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियाँ जैसे निवेश
- D. सेवाएँ प्रदान करना (C)

व्याख्या: OPC को ऐसी वित्तीय गतिविधियाँ करने की अनुमति नहीं होती जो गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से संबंधित हों।

8. OPC दो वर्ष पूरे होने से पहले स्वीच्छिक परिवर्तन कब कर सकती है?

- A. जब टर्नओवर ₹1 करोड़ से अधिक हो
- B. जब पूँजी ₹20 लाख से अधिक हो
- C. जब पूँजी ₹50 लाख से अधिक या टर्नओवर ₹2 करोड़ से अधिक हो
- D. किसी भी समय (C)

व्याख्या: पूँजी या टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक होने पर परिवर्तन दो वर्ष से पहले भी संभव है।

9. निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए कौन-सी संख्या आवश्यक है?

- A. PAN
- B. TIN
- C. DIN
- D. CIN (C)

व्याख्या: निदेशक बनने के लिए DIN (Director Identification Number) आवश्यक है।

10. DIN प्राप्त होने के बाद आवेदक को पुनः आवेदन कब करना होता है?

- A. प्रत्येक वर्ष
- B. पाँच वर्ष बाद
- C. दस वर्ष बाद
- D. दोबारा आवेदन नहीं करना होता (D)

व्याख्या: DIN एक बार जारी होने पर दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।